परिशिष्ट - II

राजस्थान पेंशन अधिनियम, 1958

(1958 का अधिनियम संख्या 27)

(राज्यपाल की अनुमति दिनांक 22 मई, 1958 को प्राप्त की गई) राज्य सरकार द्वारा दी गयी या भुगतान योग्य राज्य पेंशनों एवं धनीय अनुदानों से सम्बन्धित विधि को समेकित एवं संशोधित करने के लिए अधिनियम। भारत गणराज्य के नवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्न प्रकार अधिनियमित किया गया :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ

(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान पेंशन अधिनियम, 1958 है।

(2) यह सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में लागू होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं

(1) इस अधिनियम में, जब तक विषय या संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(i) 'धनीय अनुदान' में किसी अधिकार, विशेषाधिकार, परिलब्धि या पद के सम्बन्ध में राज्य सरकार की ओर से भुगतान-योग्य कोई राशि सम्मिलित है, लेकिन इसमें नकद जागीर सम्मिलित नहीं है जिस पर राजस्थान नकद जागीर उन्मूलन अधिनियम, 1958 लागू होता है;

(ii) 'राज्य' या 'राजस्थान राज्य' का अभिप्राय राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 37) की धारा 10 द्वारा गठित रूप में नए राजस्थान राज्य से है।

3. पेंशनों एवं अनुदानों से सम्बन्धित वादों पर प्रतिबंध

कोई भी सिविल न्यायालय, इसमें उपबंधित के सिवाय, राज्य सरकार द्वारा या पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा प्रदत्त या दी गई किसी पेंशन एवं धनीय अनुदान से सम्बन्धित वादों को ग्रहण नहीं करेगा, चाहे ऐसी पेंशन या अनुदान के लिए प्रतिफल कुछ भी हो एवं चाहे उस भुगतान, क्लेम या अधिकार की जिसके लिए ऐसी पेंशन या अनुदान प्रतिस्थापित की गयी हो, की प्रकृति कुछ भी हो।

4. क्लेम कलक्टर या अन्य प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा

कोई भी व्यक्ति जो ऐसी पेंशन या अनुदान का क्लेम करता है, उस क्लेम को जिले के कलक्टर को या राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में प्राधिकृत किए गए अन्य अधिकारी को प्रस्तुत करेगा, तथा वह कलक्टर या अन्य अधिकारी ऐसे क्लेम का निपटारा उन नियमों के अनुसार करेगा, जो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित किए जाएँगे।

5. सिविल न्यायालय ऐसे क्लेमों का संज्ञान कब लेने के लिए सक्षम होंगे

सिविल न्यायालय, जो अन्यथा प्रकार से उन पर विचारण करने के लिए सक्षम है, जिले के

कलक्टर या उस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किए गए अन्य अधिकारी से एक प्रमाण-पत्र इस सम्बन्ध का प्राप्त करने पर कि मामले पर उक्त प्रकार से विचार किया जाएगा लेकिन किसी भी वाद में ऐसा कोई आदेश या डिक्री पारित नहीं करेगा, जिसके द्वारा यथोपरोक्त रूप में कोई ऐसी पेंशन या अनुदान का भुगतान करने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, राज्य सरकार की देयता प्रभावित होती है।

6. भुगतान की प्रक्रिया

सभी राज्य पेंशन या धनीय अनुदान का भुगतान कलक्टर या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत दूसरे अधिकारी द्वारा, ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए जाएँगे।

7. पेंशनों एवं अनुदानों का रूपान्तरण

राज्य सरकार, धारक की सहमति से, उसकी पेंशन को एवं धनीय अनुदान को पूर्णतया या भाग-रूप में एकमुश्त राशि के लिए रूपान्तरित करने का आदेश ऐसी शर्तों पर दे सकेगी जो उचित समझी जाएँगी।

8. कुर्की से पेंशन को मुक्त करना

राजनीतिक प्रतिफलों पर या गत सेवाओं या वर्तमान दुर्बलताओं के आधार पर या अनुकम्पा भत्ते पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की गई अथवा चालू रखी गयी कोई भी पेंशन एवं ऐसी पेंशन या भत्ते के कारण देय या देय हुई किसी भी राशि को, पेंशनर के विरुद्ध किसी माँग के लिए या किसी ऐसे न्यायालय की डिक्री या आदेश के चुकाने हेतु, कलक्टर के कहने पर राज्य के किसी न्यायालय की कार्यवाही द्वारा जब्त, कुर्क या परिबद्ध नहीं किया जाएगा।

9. पेंशन की प्रत्याशा में समनुदेशन आदि अवैध होंगे

किसी ऐसी राशि के सम्बन्ध में जो उस पेंशन या भत्ते के लिए उसके दिए जाने के समय या उससे पूर्व भुगतान-योग्य नहीं है, धारा 8 में वर्णित किसी पेंशन या भत्ते के लिए अधिकृत व्यक्ति द्वारा किए गए या उनमें किसी भावी हित को देने या समनुदेशित करने के लिए सभी समनुदेशन, करार, आदेश, विक्रय एवं प्रत्येक प्रकार की की गई प्रतिभूतियाँ निष्प्रभावी एवं शून्य होंगी।

***[9क. पेंशन में से सिद्ध हुई सरकारी बकाया की वसूली**

धारा 8 व 9 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई पेंशन या धनीय अनुदान या भत्ता प्राप्त करने वाले या धारा 7 के अधीन उसके बदले में एकमुश्त राशि पाने के लिए अधिकृत व्यक्ति के विरुद्ध, सरकारी सेवा से उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख को सभी सिद्ध सरकारी देयों की बकाया को ऐसी पेंशन, अनुदान, भत्ते या एकमुश्त राशि से, जैसी भी स्थिति हो, वसूल किया जाएगा, तथा राज्य सरकार उसके सम्बन्ध में कोई विधिक कार्रवाई किए बिना ऐसे देयों की राशि को उनमें से वसूल करने के लिए सक्षम होगी।

---

* राजस्थान राजपत्र, भाग 4-क, असाधारण, दिनांक 24.09.1960 में प्रकाशित 1960 के राजस्थान अधिनियम सं. 31 की धारा 2 द्वारा निविष्ट किया गया।

स्पष्टीकरण :– अभिव्यक्ति 'सरकारी देयों' में शामिल हैं :–

सेवा में रहते हुए सरकारी कर्मचारी के वेतन में से स्रोत पर विधि के अधीन काटे जाने वाले केन्द्रीय या राज्य करों की बकाया;

सेवानिवृत्ति से पूर्व उसकी सेवा की किसी अवधि के सम्बन्ध में सरकारी अधिकारी को वेतन, भत्तों या अवकाश संवेतन अधिक दिया जाना;

सरकारी कर्मचारी को उसकी सेवा की किसी अवधि में राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी वास-सुविधा के सम्बन्ध में एकत्रित हुई किराये की बकाया एवं ऐसी वास-सुविधा की कराई गई मरम्मत, किए गए परिवर्तन या परिवर्धन, की गई सेवा या प्रदान की गई सुख-सुविधा के लिए देय राशि; एवं

अतिशेष, जो उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख को ऐसा भुगतान किये जाने से रह गया है, उस पर वसूल किए जाने योग्य ब्याज, यदि कोई हो, के साथ।]

सूचना देने वालों को पुरस्कार

कोई भी राज्य सरकार की सन्तुष्टि इस बात से करेगा कि राज्य पेंशन या धनीय अनुदान क्ति द्वारा जो उसका लाभ भोग रहा है, कपटपूर्वक या अनुचित रूप से प्राप्त किया गया ह माह की अवधि तक की उस पेंशन या अनुदान की राशि के बराबर का पुरस्कार पाने हकदार होगा।

नियम बनाने की शक्ति

राज्य सरकार, समय-समय पर, निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों के सम्बन्ध में इस म के अनुरूप नियम बना सकेगी, अर्थात् :–

स्थान एवं समय जिस पर, तथा व्यक्ति जिन्हें कोई राज्य पेंशन या धनीय अनुदान का भुगतान किया जाएगा;

दावेदारों की पहिचान के बारे में पूछताछ;

राज्य पेंशनों एवं धनीय अनुदान विषय से सम्बन्धित रखे जाने वाले अभिलेख;

ऐसे अभिलेखों का प्रेषण;

ऐसे अभिलेखों का शुद्धिकरण;

पेंशनरों एवं धनीय अनुदान पाने वालों को प्रमाण-पत्रों की सुपुर्दगी;

ऐसे प्रमाण-पत्रों के रजिस्टर;

धारा 5 के अधीन सिविल कोर्ट को उस व्यक्ति का रिफरेंस जो राज्य सरकार द्वारा दी गयी या भुगतान-योग्य राज्य पेंशनों या धनीय अनुदान में उत्तराधिकार का अथवा उसमें भाग लेने के अधिकार का क्लेम करते हैं;

सामान्य रूप से इस अधिनियम के अधीन अधिकारियों के मार्ग-दर्शन के लिए एवं उसके प्रयोजनों को निष्पादित करने के लिए।

ऐसे समस्त नियमों को शासकीय राजपत्र में प्रकाशित कराया जाएगा तथा ऐसा करने पर में आएँगे।